निदशालय

महानिदशक, गह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः प.37 ( )गृरमु/पीएसएएल/2017/**4063–4101** दिनांकः **11.012.2019**

1. समस्त कमाण्डेन्ट, होम गार्डस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
2. समस्त गण समादेष्टा बोर्डर होम गार्डस,राजस्थान।

विषयः– राज्य में कार्यरत प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियों में होम गार्डस के स्वयं सेवकों को नियोजित करने बाबत।

इस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 5144–5183 दिनांक 17.05.2017 के द्वारा आपको यह अवगत करवाया गया था कि प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा नियोजित किये जाने वाले सुरक्षा कर्मियों में से 25 प्रतिशत होम गार्डस स्वयं सेवको (पुरूष एवं महिला) को नियोजित किया जावेगा। इस संबंध में आपको पुनः यह निर्देश दिये जाते है कि अपने जिलों में संबंधित कार्यरत निजी सुरक्षा एजेन्सियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर आपके अधीन कार्यरत स्वयं सेवको को नियोजित करने हेतु स्वयं सेवकों के संबंध में निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जाकर इनका नियोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें:–

1. होम गार्डस स्वयं सेवक होम गार्डस एक्ट 1963 के अधीन पंजीकृत किये जाते है तथा इनका पुलिस सत्यापन पूर्ण होता है। अतः इनका पुनः चरित्र सत्यापन करवाये जाने की आवश्यकता नही होगी।
2. प्रतिवर्ष इनका प्रशिक्षण चलाया जाकर इनकी शारिरिक दक्षता एवं अन्य मापदण्डों की पूर्ति की जाती है।
3. यह अस्त्र शस्त्र के उपयोग में पूर्णतया प्रशिक्षित होते है।
4. इनको पुलिस के साथ कानून व्यवस्था ड्यूटी तथा आन्तरिक सुरक्षा डयूटी का व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव होता है।
5. यह आपदा प्रबंधन के कार्यो में प्रशिक्षित होते है।
6. यह फायर फाईटिंग,संचार,फर्स्टएड,जल आपूर्ति,रेस्क्यू कार्यो में सक्षम एवं प्रशिक्षित होते है।
7. इन्हें प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सियों में कार्य करने का भी अनुभव होता है।

...2..

उपरोक्त की पालना हेतु प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज के संचालको से परामर्श के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं से व्यक्तिशः समझाईश कर बताया जावे ताकि स्वयं सेवको को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध कौशल के अनुरूप मिल सके।

सभी जिला कमाण्डेन्ट एवं बटा. कमाण्डेन्ट इसी माह में यह कार्यवाही सुनिश्चित करेगें तथा हर 06 माह में पुनः यह कार्यवाही सम्पादित की जावेगी, जिसकी रिपोर्ट निम्न निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह निश्चित रूप से मुख्यालय भिजवाई जावें।

क्र.स.	कार्यरत निजी सुरक्षा एजेन्सी का नाम	कुल नियोजित सुरक्षा गार्ड की संख्या	नियोजित गृह रक्षा स्वंय सेवको की संख्या	सुरक्षा एजेन्सी से हुई वार्ता/पत्र व्यवहार का विवरण

महानिदेशक महोदय के निर्देशानार उक्त रिपोर्ट प्रत्येक माह कि 15 तारीख तक अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जानी है। प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज की जिलेवार सूची विभागीय बेबसाईट **http://home.rajasthan.gov.in/homeguard** पर भी उपलब्ध है।

ह/–
(यू.आर. साहू)
अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल
गृह रक्षा, मुख्यालय,राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सीनियर स्टाफ आफिसर गृह रक्षा,राजस्थान,जयपुर।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सैल मुख्यालय,जयपुर को विभागीय वैब साईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल
गृह रक्षा, मुख्यालय,राजस्थान,
जयपुर।